एल. परमेश्वरन

बनाम

मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 1325 of 2008)

फरवरी 15, 2008

[एस. बी. सिन्हा और वी. एस. सिरपुरकर, JJ.]

सेवा कानून.- वेतन संरक्षण - मूल विभाग में प्रत्यावर्तन पर - कर्मचारी को पूर्व-कैडर पद पर पदोन्नत किया गया - नीतिगत निर्णय के अनुपालन में निचले पद पर पदानवत निचली अदालतों ने उसके पदानवत को बरकरार रखा - अपील पर, माना: पदानवत आदेश में कोई कानूनी कमजोरी नहीं है - हालाँकि, मामले के तथ्यों में कि कर्मचारी ने लंबी अवधि के लिए पूर्व-कैडर विभाग में काम किया था, उसका वेतन सुरक्षित है, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए - भारतीय संविधान 1950 के अनुच्छेद 142

अपीलकर्ता को रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिवीजन में आकस्मिक कारीगर के रूप में भर्ती किया गया था। विद्युत खलासियों को नियमित पदों में समाहित करने हेतु सूची तैयार की गई। अपीलकर्ता का नाम सूची में

शामिल किया गया था। उन्होंने डीजल मैकेनिक ग्रेड II के पद के लिए स्वेच्छा से नियुक्ति की और उन्हें पदोन्नत किया गया उस पोस्ट पर इसके बाद फिर से उन्हें डीजल मैकेनिक ग्रेड II के पद पर पदोन्नत किया गया। उनसे इलेक्ट्रिकल विंग में ट्रेड टेस्ट पास करने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने चार साल की अवधि पूरी होने पर पूर्व कैडर के कर्मचारियों को वापस भेजने का नीतिगत निर्णय लिया। निर्णय को आगे बढ़ाते हुए, प्रतिवादी को उसके मूल विभाग यानी इलेक्ट्रिकल विंग में यह कहते हुए वापस भेज दिया गया कि उसकी पदोन्नति उसके मूल विभाग में तकनीशियन ग्रेड III के रूप में होनी थी। कम वेतनमान वाले पद पर वापस भेजे जाने पर प्रतिवादी ने आदेश को चुनौती दी और प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। इस आदेश को उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। इसलिए वर्तमान अपील न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है।

1.1 एक्स-कैडर पद पर होने के कारण, अपीलकर्ता को वहां बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिला। उन्हें उनके कैडर पद पर वापस भेजा जा सकता है। उन्होंने मैकेनिकल का विकल्प चुना इस तथ्य के बावजूद कि उनका मूल कैडर इलेक्ट्रिकल था। यदि अपीलकर्ता को पूर्व-कैडर पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो वह कुछ कर्मचारियों को वंचित कर देगा जो उक्त पद पर पदोन्नत होने के हकदार हैं,मूल योग्यता के अभाव में

किसी व्यक्ति को एक विधिवत योग्य कर्मचारी को रोककर पदोन्नति का अधिकार नहीं दिया जा सकता। उसे उसके मूल कैडर में वापस भेजने के आदेश में किसी भी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नहीं है। [Para 13] [1021-F-H]

इंद्रपाल यादव बनाम भारत संघ 2005 (11) एससीसी 301; भदेई राय बनाम भारत संघ एवं अन्य। जेटी 2005 (11) एससी 311- प्रतिष्ठित।

1.2 अपीलकर्ता द्वारा धारित पद एक पूर्व-कैडर पद था। उन्होंने इस कैडर में बदलाव का विकल्प चुना. उसके पास इसका कोई अधिकार नहीं था हो सकता है कि उन्हें अपने ही कैडर में पदोन्नत नहीं किया गया हो, खासकर जबकि उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो। अपेक्षित व्यापार परीक्षण। [Para 15] [1022-D]

1.3 इस प्रकृति के मामले में, एक संतुलन बनाना होगा। वर्तमान मामले के अजीबोगरीब तथ्यों में, क्षेत्र में लागू कानून के बावजूद, अपीलकर्ता को भर्ती किया गया हो सकता है एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में लेकिन तथ्य यह है कि उसे लाया गया था नियमित कैडर पर कोेई विवाद में नहीं है। यह तथ्य कि उसने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया था, इस पर भी कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि एक पूर्व-कैडर कर्मचारी के रूप में या अन्यथा उन्हें दो बार पदोन्नत किया

गया था। वह 12 वर्ष से अधिक समय से उक्त पद पर थे। रेलवे प्रशासन द्वारा एक नीतिगत निर्णय 15.10.2001 को ही लिया गया था। उससे पहले,चार साल की अवधि के बाद किसी कर्मचारी को उसके मूल कैडर में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, नीतिगत निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया गया। उक्त नीतिगत निर्णय के बावजूद, अपीलकर्ता था। अपीलकर्ता को अगले दो वर्षों तक काम करने की अनुमति दी गई। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पार्टियों के साथ पूर्ण न्याय करना इसका अधिकार क्षेत्र है। आक्षेपित आदेश की वैधता को बरकरार रखते हुए, यदि अपीलकर्ता का वेतन रुपये के वेतनमान बी में संरक्षित किया जाता है, तो न्याय का हित पूरा होगा। तकनीशियन ग्रेड III के पद पर 4500-7500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। 3050 - 7000.[Paras 17 and 18] [1023-H; 1024-A-F]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमा देवी (3) और अन्य 2006 (4) एससीसी 1 - संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1325/2008

(केरला उच्च न्यायालय, एरनाकुलम द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 37269/2003 में पारित निर्णय व आदेश दिनांक 19-05-2005 से उत्पन्न)

रोमी चाको, अपीलार्थी की ओर से

बी. दत्ता, एएसजी, आशा जी. नायर और बी. कृष्णा प्रसाद, प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय जे. एस. बी. सिन्हा द्वारा दिया गया-

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में यह शामिल प्रश्न जो डब्ल्यू.पी. में केरल उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 19.05.2005 (C) No. 37269 of 2003 निर्णय से उत्पन्न होता है कि क्या किसी कर्मचारी को किसी पूर्व-कैडर पद पर लंबे समय तक काम करने पर वेतनमान की सुरक्षा का अधिकार होगा?

3. अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक के रूप में भर्ती किया गया था। वह एक अनौपचारिक काम करने वाला व्यक्ति था। हालाँकि, वह इलेक्ट्रिकल में तैनात थे। उन्हें उनके मूल कैडर में खलासी हेल्पर के पद से तकनीशियन ग्रेड III के पद पर पदोन्नत किया गया था। उन्होंने तकनीशियन ग्रेड III की ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे उन्हें तकनीशियन ग्रेड-II के पद पर

पदोन्नत किया गया। पर या के बारे में 13.02.1989 को उन्हें डीजल मैकेनिक ग्रेड II के रूप में पदोन्नत किया गया।

उन्हें 26.04.1991 से डीजल मैकेनिक ग्रेड I के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने उक्त पद पर 7.04.2003 तक सेवा की, जब विवादित आदेश के कारण उन्हें रेलवे विभाग के इलेक्ट्रिकल डिवीजन में तकनीशियन ग्रेड III के पद पर वापस कर दिया गया।

4. उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाते हुए, उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम के समक्ष एक मूल आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह तर्क दिया गया कि उन्हें इलेक्ट्रिकल डिवीजन में तकनीशियन ग्रेड III के पद पर इस आधार पर वापस नहीं किया जा सकता था कि यह उनका मूल कैडर था।

5. दिनांक 11.11.2003 के एक निर्णय और आदेश के आधार पर, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने उक्त मूल आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया:

इस तथ्य के सामने कि आवेदक आर-1 आदेश दिनांक 29.10.80 द्वारा अपनी नियमित नियुक्ति तक इलेक्ट्रिकल खलासी एक आकस्मिक कारीगर के रूप में काम कर रहा था, आवेदक का मामला है कि उसने 13.11.79 को रेलवे में सेवा शुरू की थी। डीजल इंजन फिटर (डीजल मैकेनिक) ग्रेड III का पद झूठा और निराधार पाया गया है। जिस आदेश

द्वारा आवेदक को डीजल मैकेनिक ग्रेड II के रूप में पदोन्नत किया गया था, उससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक विद्युत शाखा का एक कारीगर कर्मचारी था और पोस्टिंग एक पूर्व-कैडर पद पर थी। कि डीजल मैकेनिक ग्रेड II का पद जिस पर आवेदक को पदोन्नत किया वह एक एक्स-कैडर पद है, इस पर आवेदक द्वारा कोई विवाद नहीं किया गया। आवेदक जो मूलतः इलेक्ट्रिक ब्रांच में वैधानिक पद हेल्पर ग्रेड I हैै जो महत्वपूर्ण पद रखने वाले विद्युत शाखा के तकनीशियन ग्रेड III के रूप में उनकी पदोन्नति के संबंध में कोई वैध शिकायत नहीं कर सकता है। जो कि सेवा के पदानुक्रम में पदोन्नति की सीधी रेखा में है, जिससे वह संबंधित है। मूल विभाग में पदोन्नति और पूर्व-कैडर पद से प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप, परिलब्धियों में गिरावट होगी, यह स्वाभाविक और अपरिहार्य परिणाम है जो सामान्य है जब कोई व्यक्ति को पूर्व-कैडर पद से मूल कैडर में वापस भेज दिया जाता है।

6. इसके खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे भी आक्षेपित निर्णय के आधार पर खारिज कर दिया गया है: याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि जो कथन प्रदर्श पी6 में किए हैं वो गलत हैं क्योंकि तकनीशियन ग्रेड II/पावर के पद पर पदोन्नति के लिए ट्रेड टेस्ट पास नहीं किया था और उन्होंने केवल डीजल मैकेनिक्स के लिए निर्धारित ट्रेड टेस्ट पास किया था। हालाँकि, यदि प्रदर्श पी6 में विशेष रूप से कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने ऐसे परीक्षण पास

कर लिए हैं। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह तथ्य का गलत विवरण है। उनकी उपलब्धियों को भी संज्ञान में लेते हुए उन्हें प्रमोशन दिया गया है। चूंकि हमने पाया है कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा किए गए कठिन प्रयास के बावजूद ट्रिब्यूनल के हाथों मुद्दे को समझने में कोई त्रुटि नहीं हुई, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है हमारे लिए एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है।

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रोमी चाको ने अपील के समर्थन में कहा कि अपीलकर्ता ने लगभग 23 वर्षों तक मैकेनिकल डिवीजन में डीजल ई मैकेनिक के रूप में काम किया है, यह माना जाना चाहिए कि उत्तरदाताओं ने उसे इलेक्ट्रिकल डिवीजन में वापस लाने में मनमाने ढंग से काम किया है। मामले के किसी भी दृष्टिकोण में, यह आग्रह किया गया था कि अपीलकर्ता वेतन और भत्ते की सुरक्षा का हकदार होगा जो उसके पास था मैकेनिकल ग्रेड I के रूप में आनंद ले रहा हूं। भदेई राय बनाम भारत संघ व अन्य [JT 2005 (11) SC 311] पर भरोसा किया।

8. दूसरी तरफ, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बी.दत्ता का तर्क था कि चूंकि अपीलकर्ता का मूल कैडर इलेक्ट्रिकल विंग था और अन्य तब से ग्रेड I में नियुक्त होने के लिए योग्य हो गए हैं। रेलवे के मैकेनिकल विंग में पद पर,

अपीलकर्ता को उसके मूल कैडर में वापस भेजने का आदेश पारित करने में कोई अवैधता नहीं की गई है।

9. अपीलकर्ता को 13.11.1979 को एक आकस्मिक कारीगर के रूप में नियुक्त किया गया था। वह तब एक्सईएन/ब्रिजेज (नेत्रवती) के नियंत्रण में रुपये के वेतनमान पर ऑयल इंजन फिटर के रूप में काम कर रहे थे। 260- 400/- ईएफ(डब्ल्यू)/ओजेए के नियंत्रण में वैकल्पिक कैजुअल कारीगर के रूप में स्थानापन्न विद्युत खलासियों की स्क्रीनिंग की गई। वर्ष 1980 में शुरू किया गया। प्रत्याशित रिक्तियों सहित 31.12.1980 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियमित पद पर अवशोषण के लिए उपयुक्त पाए गए पात्र उम्मीदवारों की एक सूची तैयार थी। उक्त सूची में अपीलकर्ताओं का नाम क्रम संख्या 56 पर दिखाई दिया। उन्होंने डीजल मैकेनिक के पद के लिए स्वेच्छा से आवेदन किया ग्रेड II और उन्हें दिनांकित आदेश द्वारा उस पद पर पदोन्नत किया गया था। 13.02.1989. उन्हें फिर से रुपये के वेतनमान पर डीजल मैकेनिक ग्रेड I के रूप में पदोन्नत किया गया। 4500-7000 (संशोधित)। उनसे इलेक्ट्रिकल विंग में ट्रेड टेस्ट पास करने को कहा गया। उन्होंने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया। आपके उपरोक्त पत्र संख्या जे/पी 535/III/टीएल दिनांक 4.3.93 के संदर्भ में, मैं कहता हूं कि मैं डीजल मैकेनिक के अपने वर्तमान व्यापार को छोड़कर किसी भी व्यापार परीक्षण में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

10. इसलिए, जिस पद पर वह थे वह एक एक्स-कैडर पद था। रेलवे प्रशासन ने निम्नलिखित प्रभाव से चार साल की अवधि पूरी होने पर पूर्व-कैडर कर्मचारियों को वापस भेजने का नीतिगत निर्णय लिया: कुछ मामलों में पूर्व-कैडर पदों के पदधारियों को 4 साल की कार्यकाल अवधि पूरी होने के बाद भी उनकी मूल इकाई में वापस नहीं भेजा जाता है और कुछ मामलों में पदधारियों को पूर्व-कैडर से दूसरे पूर्व-कैडर पद पर वापस भेजे बिना ही स्थानांतरित कर दिया जाता है। मूल संवर्ग यह निर्णय लिया गया है कि अब से कार्यकाल को 4 वर्ष की बाहरी सीमा के साथ सख्ती से लागू किया जाएगा।

11. निर्विवाद रूप से उक्त नीति निर्णय के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए, आक्षेपित आदेश पारित किया गया था 7.04.2003 को रेलवे प्रशासन को निर्देश

1. पदोन्नति उनके उच्च उत्तरदायित्व ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. उन्हें इस कार्यालय आदेश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय को अपनी इच्छा या अन्यथा के बारे में सूचित करना चाहिए, ऐसा करने में विफल रहने पर, अर्थात यदि वे इच्छुक नहीं हैं पदोन्नति स्थानांतरण करने पर इसे पदोन्नति से इनकार माना जाएगा और परिणामस्वरूप वे एक वर्ष की समाप्ति से पहले पदोन्नति के लिए

विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और वे अपने सभी कनिष्ठों से वरिष्ठता का स्थान खो देंगे जिन्हें पदोन्नत किया गया है।

3.

4.

5. श्री एल परमेश्वरन, हेल्पर ग्रेड। मैं और श्री सी. राजेंद्रन, हेल्पर ग्रेड। मैं एक्स-कैडर पदों पर बने हुए हैं आैर उनकी पदोन्नति उनके मूल संवर्ग में ग्रेड III हेत ड`यू हो गई है वर्तमान पद पर बने रहने के लिए कोई हस्तक्षेप का अधिकार या अधिकारिता नहीं है। इसलिए उनके पास वर्तमान पद पर बने रहने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं है। वे पदोन्नति पर मूल विभाग में भेजे जा सकते हैं।

12. निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता को 4500-7500 रुपये के वेतनमान पर रखा गया था। आक्षेपित आदेश के से उन्हें जिस ग्रेड में रखा गया उसका वेतनमान 3050-7000 रुपये है।

13. एक्स-कैडर पद पर होने के कारण अपीलकर्ता को वहां बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिला। उन्हें उनके कैडर पद पर वापस भेजा जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि उनका मूल कैडर इलेक्ट्रिकल विंग था, उन्होंने मैकेनिकल पक्ष को चुना। यदि अपीलकर्ता को पूर्व-कैडर पद पर बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो वह कुछ कर्मचारियों को वंचित कर देगा जो उक्त पद पर पदोन्नत होने के हकदार हैं। इसलिए, हमारी राय में, एक

विधिवत योग्य कर्मचारी को पदोन्नति के अधिकार से इस तरह वंचित किया जाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि दिनांक 7.04.2003 के उक्त आदेश में कोई कानूनी खामियां हैं।

14. हालाँकि, भदेई राय (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने यह पाया कि रेलवे प्रशासन द्वारा तैयार की गई एक योजना जो इन्द्र पाल यादव बनाम भारत संघ [(2005) 11 SCC 301] में इस न्यायालय ने उक्त योजना के मद्देनजर और उसमें निर्धारित सिद्धांतों का पालन करते हुए राय दी कि जो कर्मचारी उच्च पद पर कार्य करता रहा हो और अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो, उसे वापस नहीं किया जा सकता था हर स्थिति में वेतन और भत्ते की सुरक्षा का अधिकार उसे प्राप्त होगा।

इंद्रपाल यादव (सुप्रा) नियमितीकरण योजना से संबंधित था। यह उक्त योजना के अनुसरण में कुछ प्रावधान प्रतिपादित किए गए। जो निर्देश उक्त योजना के संदर्भ में थे। इंद्रपाल यादव (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश उक्त योजना के संदर्भ में था। हालाँकि, उसमें निर्धारित सिद्धांत वर्तमान प्रकरण के तथ्यों लागू नहीं होते हैं।

15. अपीलकर्ता द्वारा धारित पद एक एक्स-कैडर पद था। उन्होंने इस कैडर में बदलाव का विकल्प चुना. उसके पास कोई अधिकार नहीं था। उन्हें अपने ही कैडर में पदोन्नत नहीं किया गया होगा, खासकर तब जब उन्होंने अपेक्षित ट्रेड टेस्ट पास नहीं किया हो।

16. इसके अलावा, किसी व्यक्ति को सेवाओं में नियमित किए जाने के अधिकार के संबंध में प्रश्न, ताकि वह नियमित कैडर पर भर्ती होने पर वेतन प्राप्त करने में सक्षम हो सके, इस न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। सचिव, कर्नाटक राज्य व अन्य बनाम उमा देवी व अन्य [(2006) 4 SCC 1] जिसमें सार्वजनिक रोजगार में समानता के नियम के पालन की आवश्यकता को बुनियादी विशेषता के रूप में बताया गया है संविधान में यह राय दी गई कि ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो या उसकी आवश्यकताओं की अनुपालना की अनदेखी करता हो। हालाँकि, इस न्यायालय का इसके अलावा यह भी यह मत है किः-

समान कार्यों के लिए समान वेतन की अवधारणा उन लोगों को स्थायित्व प्रदान करने की अवधारणा से भिन्न है जिन्हें तदर्थ आधार पर, अस्थायी आधार पर या द्वारा परिकल्पित चयन की किसी प्रक्रिया के आधार पर नियुक्त किया गया है। इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू किया है और उस सिद्धांत को लागू करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। निर्णय समानता की अवधारणा पर आधारित होते हैं। हमारे संविधान में इस संबंध में निदेशक सिद्धांतों के आलोक में। लेकिन उस सिद्धांत की स्वीकृति से ऐसी स्थिति नहीं बन सकती जहां अदालत यह निर्देश दे सके कि कानून द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई नियुक्तियों को

स्थायी माना जाए या जारी किया जाए। उन्हें स्थायी मानने के निर्देश. ऐसा करना अवसर की समानता के सिद्धांत को नकारना होगा। इस न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक आदेश देने की शक्ति का उपयोग आम तौर पर सार्वजनिक रोजगार के मामले में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को मंजूरी देने के लिए नहीं किया जाएगा। हमारे सामने आए मामलों में उत्पन्न स्थिति को कर्नाटक राज्य से लीजिए। वहीं, धारवाड़ फैसले के बाद सरकार ने बार-बार निर्देश और अनिवार्य आदेश जारी किए थे कि कोई अस्थायी या तदर्थ रोजगार या नियुक्ति नहीं दी जाएगी। कुछ अधिकारियों और विभागों ने उन निर्देशों की अनदेखी की थी या उन निर्देशों की अवहेलना की और रोजगार देना जारी रखा था, विशेष रूप से ई द्वारा जारी आदेशों द्वारा बाधित किया गया था कार्यकारी द्वारा. कुछ नियुक्ति अधिकारियों को उनकी अवज्ञा के लिए दंडित भी किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 या 32 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए या शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित करना उचित या उचित नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उनको अनुमति दी गई है

नियुक्त व्यक्तियों को उनकी नियुक्तियों या संलग्नताओं के आधार पर समाहित किया जाना या स्थायी किया जाना। पूर्ण न्याय कानून के अनुसार न्याय होगा और यद्यपि यह न्यायालय राहत देने के लिए खुला

होगा, यह न्यायालय ऐसी राहत नहीं देगा जो अवैधता को कायम रखने के बराबर होगी।

17. उपरोक्त दो सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि इस प्रकृति के मामले में संतुलन बनाना होगा। मौजूदा मामले के अजीबोगरीब तथ्य में जैसा कि ऊपर देखा गया है, क्षेत्र में कानून लागू होने के बावजूद, अपीलकर्ता को एक आकस्मिक कर्मचारी के रूप में भर्ती किया गया हो सकता है, लेकिन यह तथ्य कि उसे नियमित कैडर के रोल पर लाया गया था, विवाद में नहीं है। यह तथ्य भी विवादित नहीं है कि उसने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि एक पूर्व-कैडर कर्मचारी के रूप में या अन्यथा उन्हें दो बार पदोन्नत किया गया था। वह 12 वर्ष से अधिक समय से उक्त पद पर थे। रेलवे प्रशासन द्वारा एक नीतिगत निर्णय 15.10.2001 को ही लिया गया था। इससे पहले, किसी कर्मचारी को चार साल की अवधि के बाद उसके मूल कैडर में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, नीतिगत निर्णय को तत्काल प्रभाव से लागू नहीं किया गया। उक्त नीतिगत निर्णय के बावजूद, अपीलकर्ता को अगले दो वर्षों तक काम करने की अनुमति दी गई।

18. स्थिति का सामना करते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि सुरक्षा के संबंध में प्रश्न यदि इस संबंध में कोई अभ्यावेदन दायर किया जाता है तो अपीलकर्ता के वेतन पर उचित

प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा। समय की चूक को ध्यान में रखते हुए हमारी राय है कि इस मामले में हमें खुद ही संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में, यह एक उपयुक्त मामला है जहां इस न्यायालय को इसका प्रयोग करना चाहिए पार्टियों को पूर्ण न्याय देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत क्षेत्राधिकार। हमारा मानना है कि, दिनांक 7.04.2003 के आदेश की वैधता को बरकरार रखते हुए, यदि अपीलकर्ता के वेतन को रुपये के वेतनमान में संरक्षित किया जाता है, तो न्याय का हित पूरा होगा। तकनीशियन ग्रेड III के पद पर 4500-7500 रुपये लगेंगे जिसके लिए वेतनमान रु. 3050 - 7000. ऐसा करके, हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे या कोई अवैध कार्य नहीं करेंगे।

19. यह अपील उपरोक्त सीमा तक स्वीकार की जाती है। हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे के संबंध में कोई आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।